रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245118
CG-DL-E-12042023-245118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945
No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 286(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 में नियम 5 के उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:-

"(3) (क) यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है या उसे कार्यालय से हटा दिया जाता है या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक, सरकार, धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (क) के तहत नियुक्त सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत कर सकती है।

(ख) यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, नियमित अध्यक्ष द्वारा अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने तक, सरकार, धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (क) के तहत नियुक्त सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत कर सकती है।"

[फा. सं. क-54/10/2023-केवीआई-(2)]

विपुल गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम संख्या सा.का.नि. संख्या 483 (अ), दिनांक 17 अगस्त 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा तदनन्तर अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2006 और सा.का.नि. 191, दिनांक 12 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2023

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, after sub-rule (2) of rule 5, the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(3) (a) If the Chairman dies or resigns or is removed from office or for any other reason unable to perform the duties of his office, the Government may designate one of the members appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 4 to be the Chairman until a Chairman is appointed by the Government under sub-section (3) of section 4 of the Act;

(b) If the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other reason, the Government may designate one of the members appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 4 to be the Chairman until the regular Chairman resumes his duties."

[F. No. A-54/10/2023-KVI-(2)]

VIPUL GOEL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 483(E), dated the 17th August, 2006 and subsequently amended vide by notification numbers G.S.R. 728(E), dated the 30th November, 2006 and G.S.R. 191, dated the 12th September, 2007.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.